



न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी ए.एच. गौरी, आर.ए.एस.  
अपील संख्या 155/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/ 00023)

1. कमला पुत्री स्व. रूपाराम पुत्र बारू उर्फ वीरू पुत्र गुरमुख पुत्र नत्थिया पत्नी महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति मेधवंशी निवासी गांव अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव रायपुर तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
2. राजबाला पुत्री स्व. रूपाराम पुत्र बारू उर्फ वीरू पुत्र गुरमुख पुत्र नत्थिया पत्नी जयवीर पुत्र रामस्वरूप जाति मेधवंशी निवासी गांव अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव रायपुर तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. छोटूराम पुत्र पूर्णराम जाति चमार निवासी गांव अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (फौत)  
1/1 भादो बैवा छोटूराम  
1/2 मूर्ति बैवा राजेन्द्र  
1/3 नरेश पुत्र राजेन्द्र  
1/4 प्रवीण पुत्र राजेन्द्र
2. ग्राम पंचायत सुरतपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुरतपुरा तहसील भादरा।

असल रेस्पोडेन्ट्स

3. महावीर पुत्र अमर सिंह वल्द बारू उर्फ वीर वल्द गुरमुख वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
4. बाला बैवा दलीप पुत्र अमर सिंह वल्द बारू उर्फ वीरू वल्द गुरमुख वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
5. तरसेम पि० प्रताप पुत्र अमरसिंह वल्द बारू उर्फ वीरू वल्द गुरमुख
6. कविता वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा तहसील भादरा
7. ज्योति हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
8. कृष्णा बैवा प्रताप पुत्र अमर सिंह वल्द बारू उर्फ वीरू वल्द गुरमुख वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
9. धीरू पि० प्रताप पुत्र अमरसिंह वल्द बारू उर्फ वीरू वल्द
10. जसवीर गुरमुख वल्द नत्थिया जाति मेधवंशी निवासी अमरपुरा
11. जखसिंह तहसील भादरा हाल आबाद गांव झालनिया तहसील व
12. नीतू जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
13. पुष्पा

रेस्पोडेन्ट्स

- उपस्थित: 1. श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट्स  
2. श्री राजेश बैद अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1/1  
ता 1/4  
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली राजकीय अभिभाषक

अति.संभागीय आयुक्त  
बीकानेर



निर्णय

दिनांक: 07-03-2022

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने सरपंच ग्राम पंचायत सूरतपुरा द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 66 दिनांक 20.04.1983 के विरुद्ध उप जिला कलक्टर भादरा मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.11.2015 द्वारा अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 03.07.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर असल रेस्पोंडेन्ट्स को ही तलब करने का निवेदन करने पर असल रेस्पोंडेन्ट्स को ही तलब किया गया। शेष फोरमल रेस्पोंडेन्ट्स को तलब नहीं किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि अपील में उल्लेखित इन्तकाल ग्राम सरपंच द्वारा बैयनामें के आधार पर तस्दीक किये गये है। ग्राम सरपंच को इन्तकाल दर्ज करने का अधिकार नहीं था। क्योकि बैयनामे ड्रस्प्यूटेड थे, मौके की रिपोर्ट, कब्जे की रिपोर्ट लिये बिना ही ग्राम सरपंच ने क्षेत्राधिकार से बाहर इन्तकाल दर्ज किये थे। ग्राम सरपंच ने बैचवान कर्ता को बिना सुने आदेश पारित किया जबकि कानून के अनुसार उसको सुना जाना आवश्यक था। प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी भादरा में पेश की गई थी जिसमे सरपंच को पक्षकार बनाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरपंच को बिना सुने बिना तामिल करवाये निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम से स्पष्ट है कि सम्मन ग्राम सरपंच दिनांक 08.09.2015 को जारी किए

11  
अति.समाधीय आयुक्त  
कैकनर



तथा दिनांक 15.10.2015 को उपस्थिति हेतु आदेश थे मगर तामिल कुनिन्दा ने बिना तामिल किए, बिना दिनांक के बिना गवाहों के सामने, यह लिखकर कि पाती लेने से इन्कार हुआ। स्पष्टतया बिना तामिल के ही रिपोर्ट की गई जो मान्य नहीं है। प्रथम अपील में दफा-5 के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया है जबकि काउन्टर में कोई शपथ पत्र पेश नहीं था तथा दफा-5 के प्रार्थना पत्र को माना जाना चाहिए था एवं प्रथम अपील न्यायालय में मियाद के बिन्दु को सही ढंग से तय ही नहीं किया जो लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। प्रथम अपील वास्ते बहस नहीं रखी गई ना ही ऑर्डरशीट है। फिर भी बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया जो कानून का स्पष्टतया उल्लंघन है। अतः अपीलान्त की अपील को स्वीकार कर प्रथम अपील न्यायालय व ग्राम सरपंच द्वारा पारित आदेश दोनों निरस्त फरमावें तथा प्रथम अपील न्यायालय को रिमाण्ड की जावे कि सभी पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश फरमाया जावे। अपीलांत के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2011 पेज 386, RRD 1994 पेज 277, RRD 1981 पेज 292, RRD 1974 पेज 456, RRD 2007 पेज 463, RRD 1975 पेज 399, RRD 1995 पेज 696, RRD 1989 पेज 31, RRD 1988 पेज 62, RRD 2006 पेज 125, RRD 2001 पेज 58, RRD 2016 पेज 28, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक श्री राजेश बैद ने बहस कर कहा कि अपीलान्त की अपील आधारहीन है। जब तक अमरसिंह जिन्दा था अपीलान्त का जन्म भी नहीं हुआ था। अमरसिंह ने अपने सारे हिस्से 1980 से पहले ही बेच दिये थे। सभी इन्तकाल बैयनामों के आधार पर भरे गये हैं, बैयनामों उप पंजीयक के यहाँ तस्दीक शुदा दस्तावेज हैं। उक्त दस्तावेज के रहते उनसे किये इन्तकालों को अपील के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है। बैयनामा से हुए इन्तकाल विधि सम्मत है। अपीलान्त द्वारा सभी बैयनामों फ्रेग्मेन्ट से प्रभावित होने के कारण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध व शून्य बताये हैं जो कतई गलत है चूँकि फ्रेग्मेन्ट से सम्बन्धित प्रावधान काश्तकारी अधिनियम से विलोपित कर दिये गए हैं जो न्यायिक दृष्टांत RLW 1998 (1) RAJ पेज 516, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की

11  
अति.सहायक अनुचर  
कै.क.नं.

नजीर से समर्थित है। अपीलान्त द्वारा पेश अपील बिना लोकस स्टेन्डाई के बिना वैधानिक अधिकार होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्त की अपील निरस्त फरमाई जावे।



6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट्स द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण को चुनौती निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सूरतपुरा को तामिल नहीं करवाई गई।
2. अपीलाधीन नामान्तकरण विवादित होने के कारण ग्राम पंचायत सूरतपुरा को स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था।
3. विक्रय पत्र जिनके आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये गये हैं वो फ्रेगमेन्ट की श्रेणी होने के कारण नामान्तकरण दर्ज नहीं किये जा सकते हैं।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में मियाद के बिन्दु को सही तौर पर निर्णित नहीं किया।


अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 04.11.2015 की आदेशिका के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत सूरतपुरा की तामिल लेने से इन्कार होने के आधार पर तामिल मानते हुए उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा दिनांक 24.11.2015 को निर्णय पारित किया गया। इस संबंध में अपीलान्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष कोई आपत्ति नहीं की गई तथा ना ही इसके विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत सूरतपुरा के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जो हितबद्ध पक्षकार भी नहीं है। जहां तक विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है के सम्बन्ध में विक्रय पत्रों के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को विवादित श्रेणी का नहीं माना गया है। साथ ही विक्रय पत्रों को फ्रेगमेन्ट से प्रभावित होने के आधार पर प्रारम्भ से शून्य होने का प्रश्न के संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत RLW 1998 (1) RAJ पेज 516, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की

11  
अति.संभोगी अधिकारी  
संकाय



नजीर के अनुसार फ्रेग्मेन्ट सम्बन्धी प्रावधानों का भूतलक्षी प्रभाव से वापिस ले लिया गया है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र अवैध नहीं कहे जा सकते हैं। जबकि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत फ्रेग्मेन्ट के सम्बन्ध में नजीरे उक्त कानून को वापिस लेने से पूर्व की है जो इस प्रकरण पर हुबहू लागू नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में मेरिट पर निर्णय पारित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपील को अन्दर मियाद मानते हुए निर्णय पारित किया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि प्रस्तुत अपील के माध्यम से नामान्तरण सं. 66 को चुनौती दी गई है। जिसमें वर्णित भूमि का विक्रय गुरुमुख के पुत्र बरू द्वारा किया गया है, अपीलान्त उक्त भूमि में किस आधार पर अपना हक रखते हैं यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील संधारण योग्य नहीं होने से भी खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(ए.एच.गौरी)  
अति.संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर